चिंता का विषय | फेंसिंग चेतावनी बोर्ड और निगरानी के अभाव में बढ़ा खतरा, पुनर्वास और जन सुरक्षा के मानकों पर उठ रहे सवाल

बंद धनपुरी ओपन कास्ट खदान में सुरक्षा उपायों की अनदेखी

नवभारत, (धनपुरी)। कोयला उत्पादन समाप्त होने के बाद किसी भी ओपन कास्ट खदान का बंद होना केवल खनन कार्य की समाप्ति नहीं होता, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण प्रबंधकन की होती है। खदान बंद होने के बाद उसका सुरक्षित पुनर्वास, पर्यावरणीय पुनर्स्थापन और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना खनन कंपनी की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। सोहागपुर क्षेत्र की धनपुरी ओपन कास्ट खदान, जहां कभी बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन किया जाता था, आज उत्पादन बंद होने के बाद सुरक्षा और रखरखाव के सवालों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। खदान परिसर की वर्तमान स्थिति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सुरक्षा संबंधी अनेक ऐसे कार्य हैं, जिन पर और अधिक गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

खनन विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बंद ओपन कास्ट खदान में सबसे पहले अंतिम पिट (गड्ढे) की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि खदान का गहरा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है या उसमें पानी भर गया है, तो वहां मजबूत फेंसिंग, चेतावनी बोर्ड और अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए प्रभावी अवरोधक लगाए जाने चाहिए। धनपुरी क्षेत्र में भी यह आवश्यक है कि खदान के आसपास ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कई बार स्थानीय लोग, चरवाहे या बच्चे अनजाने में खदान क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। बंद खदानों में ढलानों की स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण विषय होती है। वर्षों तक खनन के कारण बनी ऊंची और गहरी ढलानों में समय के साथ दरारें या कमजोरियां उत्पन्न हो सकती हैं।

बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए जियोटेक्निकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खदान की सभी ढलानें सुरक्षित हैं। जहां आवश्यकता हो वहां ढलानों का पुनर्गठन, ढीले पत्थरों को हटाने तथा कटाव रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से नहीं की जातीं तो भविष्य में भू-स्खलन जैसी घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। ओवरबर्डन डंप या मिट्टी-पत्थर के विशाल ढेर भी बंद खदानों में जोखिम का कारण बन सकते हैं। इन डंपों को वैज्ञानिक तरीके से समतल करना, टेरेसिंग करना तथा उन पर घास और वृक्षारोपण कर स्थायी रूप से स्थिर बनाना आवश्यक होता है। धनपुरी ओपन कास्ट खदान के संदर्भ में भी यह अपेक्षा की जाती है कि सभी डंप क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण हो और कटाव या धंसाव की संभावनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जाए। हरित आवरण न केवल सुरक्षा बढ़ाता है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

जल स्रोतों को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में नियमित जल परीक्षण, जल निकासी व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, यदि खदान में पानी भरा हुआ है तो उसकी गहराई और संभावित खतरे के संबंध में स्पष्ट सूचना पट्ट लगाए जाने चाहिए।

धनपुरी क्षेत्र में जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई उपाय अपेक्षित हैं। खदान की परिधि में मजबूत बाउंड्री, पर्याप्त संख्या में चेतावनी संकेतक, रात के समय परावर्तक संकेत (रिफ्लेक्टिव साइन) तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था होना आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीणों को समय-समय पर जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वे बंद खदान क्षेत्र में प्रवेश करने से होने वाले जोखिमों को समझ सकें।

एसईसीएल की बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर लगी रोक

▶ राजेंद्रा भूमिगत खदान परिसर में किया जा रहा था वनविभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, वन वृत्त बुढ़ार बीट सिरौंजा की कार्यवाही

धनपुरी/खैरहा। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्रा खैरहा उपक्षेत्र अंतर्गत राजेंद्रा भूमिगत खदान परिसर के प्रवेश द्वार से महज 200 मीटर की दूरी पर वन विभाग की जमीन पर राजेंद्रा खान प्रबंधन के द्वारा अनियमित तरीके से वनविभाग की जमीन पर बाउंड्री निर्माण कार्य को अंजाम दिए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार कर ही किया गया था।

लेकिन एसईसीएल राजेंद्रा क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी इंजीनियर उस वक्त कटघरे में खड़े हो गए जब वनविभाग बुढार की टीम ने सख्त लहजे में मौके पर पहुंचकर राजेंद्रा खान प्रबंधन को जमकर लताड़ दिया और कहा की वनविभाग के दायरे में आने वाली जमीन पर इस तरह से किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बुढार वनविभाग की टीम और रेंजर सलीम खान के द्वारा अमूल्य वन विभाग की जमीन पर कब्जे होने से पहले और निर्माण कार्य होने से पूर्व ही रोक लगा दी गई जो की स्वागत योग्य है।

इनका कहना है

इस मामले में राजेंद्रा उपक्षेत्रीय प्रबंधक पी.हरीबाबू से जब दूरभाष पर उनका पक्ष जानने हेतु कॉल किया गया था तो उन्होंने खुद को इस पूरे विषय से अलग करते हुए इस मामले की जानकारी ना होने की बात कही जो की बड़ी ही हतप्रभ करने वाली थी।

पी.हरीबाबू, (उपक्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्रा खैरहा उपक्षेत्र)

सिरौंजा बीट वन विभाग वृत्त बुढार अंतर्गत की गई इस कार्यवाही पर बुढार रेंजर सलीम खान ने कहा की मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई वनविभाग की जमीन पर किसी को भी अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है जब जब शिकायत आती है कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

सलीम खान, रेंजर बुढ़ार

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के 4 विद्यार्थियों का संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु चयन

शहडोल। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संस्कृत, पाली एवं प्राकृत विषयों के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के चार विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय को प्राप्त सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों में सुनैना प्रजापति, सदन त्रिपाठी, शिवम मिश्रा तथा अलिशा परवीन शामिल हैं। ये सभी विद्यार्थी संस्कृत विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत हैं।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों एवं बैंक विवरणों का सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन उपरांत नियमानुसार छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है तथा इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को निरंतर आगे बढ़ाने और भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा के संवर्धन में योगदान देने का आह्वान किया।

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय ने जारी किया पीजी चतुर्थ सेमेस्टर टाइम टेबल

शहडोल। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) द्वारा सत्र जून-2026 की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एम.एससी., एम.एफएससी., और एम.एच.एससी., एलएलबी, एलएलएम, एमए चतुर्थ सेमेस्टर सभी विषयों का संशोधित परीक्षा टाइम टेबल घोषित कर दिया है।

यह टाइम टेबल नियमित, प्राइवेट, एक्स और एटीकेटी के सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लागू होगा। विश्वविद्यालय द्वारा 22 जून 2026 को जारी किए गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, परीक्षाएं दोपहर के सत्र में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण तिथियां- विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी परीक्षाएं दोपहर 12:00 बजे से लेकर अपराह्न 03:00 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी।

बंगवार भूमिगत खदान में सुरक्षा और उत्पादन पर फोकस

▶ स्वयं निगरानी कर रहे उप क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रतिदिन लगभग 1000 टन कोयला उत्पादन, आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद

नवभारत, (धनपुरी)। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की बंगवार भूमिगत खदान इन दिनों सुरक्षा मानकों के पालन और बेहतर उत्पादन व्यवस्था को विशेष कार्य कर रही है खदान प्रबंधन द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोयला उत्पादन का कार्य संचालित किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार सिंह स्वयं नियमित रूप से भूमिगत खदान में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा इंतजामों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

उप छेत्रीय प्रबंधक श्री सिंह द्वारा प्रतिदिन खदान के अंदर जाकर उत्पादन गतिविधियों का जायजा लेते हैं। इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा, वेंटिलेशन व्यवस्था, उपकरणों की स्थिति तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा करते हैं। उनके लगातार निरीक्षण से कर्मचारियों में भी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और कार्यस्थल पर अनुशासन का वातावरण दिखाई दे रहा है।

सुरक्षा नियमों के पालन से बढ़ा कर्मचारियों का विश्वास- बंगवार भूमिगत खदान में वर्तमान समय में प्रबंधन का सख्त और जिम्मेदार रवैया स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। खदान के भीतर प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की टीम लगातार सक्रिय है। खदान के कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, जिससे कार्यस्थल पर विश्वास और सकारात्मक माहौल बना है। भूमिगत खनन जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और इसी कारण प्रबंधन द्वारा नियमित निरीक्षण, आवश्यक निर्देश तथा सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

इसके अलावा कार्य प्रणाली में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उत्पादन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर निगरानी की जा रही है। यही वजह है कि खदान की कार्यप्रणाली अन्य इकाइयों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आ रही है।

बंगवार भूमिगत खदान वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1000 टन कोयला उत्पादन कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में उत्पादन में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार प्रबंधन द्वारा संडे ओटी (ओवरटाइम) पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार न पड़े और सुरक्षा संबंधी जोखिम कम हों। यह कदम श्रमिक हितों और सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि बंगवार भूमिगत खदान अपने उत्कृष्ट उत्पादन और व्यवस्थित संचालन के कारण एसईसीएल मुख्यालय स्तर पर एक अलग पहचान रखती है। वर्षों से यह खदान उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता के लिए जानी जाती रही है। वर्तमान में सुरक्षा और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों से इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत होती दिखाई दे रही है।

प्रबंधन का मानना है कि सुरक्षित वातावरण में किया गया उत्पादन ही वास्तविक उपलब्धि है। इसी सोच के साथ बंगवार भूमिगत खदान में सुरक्षा, अनुशासन और उत्पादन को समान महत्व दिया जा रहा है। अधिकारियों की सक्रिय निगरानी और कर्मचारियों के सहयोग से यह खदान आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में अग्रसर है।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला आरोपी गिरफ्तार

शहडोल । थाना गोहपारु में दर्ज मर्ग की जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर महिला की आत्महत्या के मामले में उसके पति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतिका अर्चना जैसवाल पति प्रेमलाल जैसवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी हर्राहाटोला, थाना गोहपारु, जिला शहडोल ने दिनांक 21.06.2026 को अपने घर के शयनकक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पूर्व में मृतिका द्वारा अपने पति के विरुद्ध मारपीट एवं प्रताड़ना के संबंध में थाना गोहपारु में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

प्रमाणित हुए तथ्य

मर्ग जांच में संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं पूर्व में दर्ज प्रकरणों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी पतिप्रेमलाल जैसवाल पिता रामसेवक जैसवाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी हर्राहाटोला, थाना गोहपारु, जिला शहडोल द्वारा मृतिका को लगातार प्रताड़ित किए जाने के तथ्य प्रमाणित पाए गए। उक्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अज्ञात वाहन ने रौंदा महिला की मौत

नवभारत, जबलपुर । बरगी थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (एन एच-34) पर मानेगांव फनिगो एडवेंचर पार्क के पास अज्ञात वाहन ने एक महिला को रौंद दिया । हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका अपने दामाद के साथ मोटरसाइकिल से एक शादी समारोह से लौट रही थी। बरगी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि ग्राम बरगी खेरमाई मोहल्ला की रहने वाली रनको बाई भूमिया पति रामलाल भूमिया (54) रविवार को तिलवारा में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह अपने दामाद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस घर लौट रही थीं। इसी दौरान एनएच-34 पर मानेगांव फनिगो एडवेंचर पार्क के पास पहुंची तभी अज्ञात उनकी बाइक को अज्ञात वाहन चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक एवं तेज रफ्तार में टक्कर मार दी । हादसे के बाद रनको बाई उछलकर गिर गई और अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया । हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं।

गौरक्षक बनकर रंगदारी और अपहरण करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। थाना कोतवाली क्षेत्र में स्वयं को गौरक्षक बताकर रंगदारी वसूलने, मारपीट करने और लोगों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पाण्डवनगर निवासी नारेश्वर प्रसाद पनिका अपने तीन पालतू बैलों को खेती कार्य के लिए ग्राम सिलवारी, जिला अनूपपुर भेजने हेतु पिकअप वाहन में लोड करवा रहे थे। इसी दौरान कार से पहुंचे तीन व्यक्तियों ने स्वयं को गौरक्षक बताते हुए मवेशियों को चोरी कर कटाई के लिए ले जाने का आरोप लगाकर 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये देने से इंकार करने पर आरोपियों ने फरियादी एवं उसके साथियों के साथ डंडे, रॉड तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

आरोपियों ने फरियादी और श्रमिकों को जबरन वाहन में बैठाकर अड़ना नदी किनारे स्थित एक फार्म हाउस में ले जाकर बंधक बना लिया तथा नगदी और मोबाइल फोन भी छीन लिए। घटना में दो लोगों को चोटें आईं।फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनुज सिंह (30), आशुतोष चतुर्वेदी (36) तथा राजेश उर्फरजौले बैगा (30) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

भंडारा | अकीदत और इंसानियत की मिसाल: मुहर्रम के मुकद्दस महीने में उमड़ा जनसैलाब

गुलामे अब्बास अलमदार लंगर कमेटी ने कराया विशाल भंडारा

नवभारत, धनपुरी (बुढ़ार रोड)। इस्लामी नए साल के आगाज़ के साथ ही मुहर्रम-उल-हराम का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख (यौम-ए-आशूरा) तक अकीदतमंद नवासे-ए-रसूल हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में शहर के कोने-कोने में तकरीर, सबील और लंगर का विशेष इंतजाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र में आपसी सौहार्द और सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए बुढ़ार रोड स्थित जानू कॉम्प्लेक्स के सामने 'गुलामे अब्बास अलमदार लंगर कमेटी' की जानिब से बीते कल (22 जून 2026) को एक अजीम-ओ-शान लंगर और भंडारे का आयोजन किया गया।

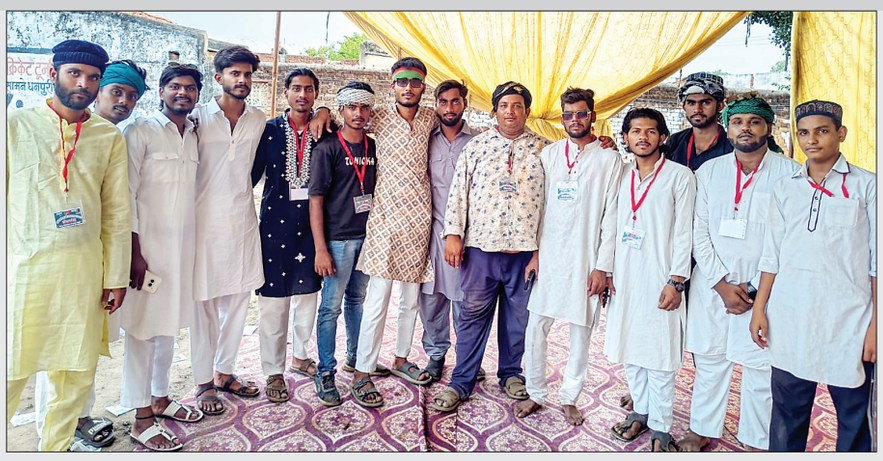

कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि शहादते इमाम हुसैन के नाम पर आयोजित इस भव्य लंगर की शुरुआत दोपहर ठीक 1:00 बजे हुई, जो देर शाम तक अनवरत (लगातार) जारी रही।

एडवोकेट कलाम मोहम्मद ने बयां किया कर्बला का पैगाम- इस पूरे गरिमामयी आयोजन के दौरान मंच संचालन की कमान एडवोकेट कलाम मोहम्मद ने अपने मर्मस्पर्शी और ओजस्वी संबोधन से न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को बांधे रखा, बल्कि मुहर्रम के इस मुकद्दस महीने के महत्व पर भी विस्तार से रोशनी डाली। एडवोकेट कलाम मोहम्मद ने लंगर कमेटी के इस बेहतरीन इंतजाम की सराहना करते हुए नवासे-ए-रसूल हज़रत इमाम हुसैन की महान शहादत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने कर्बला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दुनिया को मजलूमों का साथ देने, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और इंसानियत की हिफाजत करने का पैगाम दिया था।

दोपहर से शाम तक लगी रही कतार, खिदमत में जुटे रहे युवा

लंगर की शुरुआत दोपहर 1:00 बजे होते ही जानू कॉम्प्लेक्स के सामने अकीदतमंदों और राहगीरों का तांता लग गया। बुढ़ार-धनपुरी मुख्य मार्ग से गुजरने वाले हर शख्स को कमेटी के वॉलंटियर्स ने रोककर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लंगर (तबर्रुक) ग्रहण कराया।

सीवर लाइन कार्य की लापरवाही से बढ़ी लोगों की परेशानी

▶ 40 से अधिक परिवार प्रभावित

शहडोल। शहर में सीवर लाइन के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। रीवा रोड स्थित मदन एजेंसी के बगल से पुलिस लाइन को जोड़ने वाले मार्ग पर सीवर लाइन के कर्मचारियों द्वारा सड़क के बीच करीब 20 फीट से अधिक लंबा गड्ढा खोदकर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे स्थानीय रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 15 में दो दिन पहले जेसीबी मशीन से सड़क खोदी गई थी, लेकिन इसके बाद कर्मचारी मौके पर वापस नहीं लौटे। सड़क के बीच बने बड़े गड्ढे के कारण करीब 40 से अधिक घरों के लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए अब लगभग एक किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जो पहले कुछ कदमों में पूरी हो जाती थी।वहीं, मंजूर अली ने बताया कि उनकी दुकान सड़क के एक ओर और घर दूसरी ओर है, लेकिन गड्ढा खोदे जाने के बाद पैदल आने-जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है। पहले जहां कुछ कदम चलकर घर पहुंच जाते थे, वहीं अब लंबा चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि सीवर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर तत्काल पैदल आवागमन की व्यवस्था करें तथा यह स्पष्ट करें कि मार्ग कब तक बंद रहेगा और मरम्मत कार्य कब पूरा किया जाएगा।